

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 फरवरी 2026 — माघ 29, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक PROJ/2617/2025-O/O DS(C&I).- चूंकि राज्य के व्यापक लोकहित के लिए राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को गति देने के लिए, स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, संलग्न अनुसार छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 अधिसूचित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30

1. प्रस्तावना

(1) भारत का प्रगतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम

भारत नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है, जो विश्व के सबसे सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। 1.57 लाख से अधिक डीपीआईआईटी-पंजीकृत स्टार्टअप्स तथा प्रतिदिन औसतन 80 नए स्टार्टअप्स के पंजीकरण के साथ, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र है। इस गतिशील परिदृश्य ने 17.3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 118 से अधिक यूनिवर्सिटी का उदय तथा 73,000 से अधिक महिला उद्यमियों/ निदेशकों द्वारा संचालित स्टार्टअप्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, स्टार्टअप यात्रा की समावेशी और व्यापक प्रकृति को दर्शाती है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम में 70,000 से अधिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स सम्मिलित हैं, जो फिनटेक, एंटरप्राइज टेक, ई-कॉमर्स, ट्रेवल टेक, उपभोक्ता सेवाएँ, एडटेक, क्लीनटेक, हेल्थ टेक, रियल एस्टेट टेक और डीप टेक जैसे विविध क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यह स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सशक्त सरकारी पहलों द्वारा प्रेरित है। भारत ने राज्य स्तर पर समर्पित नीतियों और मिशनों के माध्यम से प्रभावी स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया है। राज्यों के बीच यह प्रतिस्पर्धात्मक भावना उद्यमिता और नवाचार की दिशा में राष्ट्रव्यापी गतिविधि को प्रोत्साहित कर रही है।

(2) छत्तीसगढ़ – इमर्जिंग स्टार्टअप केंद्र

छत्तीसगढ़, भारत के सबसे तीव्र गति से प्रगति कर रहे राज्यों में से एक है, जो नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों, विविध सांस्कृतिक धरोहर और मध्य भारत में अपनी रणनीतिक स्थिति के साथ यह राज्य विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने की अपार संभावनाएँ प्रदान करता है। समावेशी विकास, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकीय प्रगति में स्टार्टअप्स की परिवर्तनकारी भूमिका को मान्यता देते हुए राज्य सरकार ने एक समर्पित स्टार्टअप नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य एक सशक्त एवं गतिशील उद्यमशील पारितंत्र का निर्माण करना है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2000 से अधिक डीपीआईआईटी-पंजीकृत स्टार्टअप्स और 20 इनक्यूबेटर्स कार्यरत हैं। स्वास्थ्य एवं वेलनेस, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण सहित अनेक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की बढ़ती सहभागिता राज्य के विकास को नई गति प्रदान कर रही है।

यह नीति नवोन्मेषकों (Innovators), भावी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित करने पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत वित्त, परामर्श, इनक्यूबेशन, विपणन और क्षमता निर्माण जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। साथ ही, इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, स्थानीय प्रतिभा का प्रभावी उपयोग करना तथा नवाचार और जोखिम उठाने की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

अकादमिक संस्थानों, उद्योग, निवेशकों एवं शासकीय एजेंसियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और जनजातीय शिल्प जैसे क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताओं का लाभ उठाकर एक आत्मनिर्भर, सतत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप पारितंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

2. उद्देश्य

अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विज्ञान @2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा 2030 तक एक विश्व-स्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण हेतु इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

- (1) शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए युवाओं एवं समाज के विशेष वर्गों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना।
- (2) 5,000 से अधिक नए डीपीआईआईटी-पंजीकृत स्टार्टअप्स को परामर्श, प्रौद्योगिकी एवं अत्याधुनिक अधोसंरचना उपलब्ध कराकर सशक्त बनाना।
- (3) स्टार्टअप्स के विभिन्न चरणों में विकास हेतु इनक्यूबेशन, परामर्श, वित्त-पोषण एवं बाजारसंपर्क तक पहुँच को सुगम बनाना।
- (4) सामाजिक प्रभाव और स्थायी रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार एवं उद्यमशीलता का विस्तार करना।
- (5) उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, निवेशकों एवं शासकीय संस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग को सुदृढ़ कर छत्तीसगढ़ को एक अग्रणी नवाचार-संचालित केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- (6) प्रत्येक जिले में इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना करना।

3. नीति अवधि

छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-2030 इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि तक मान्य रहेगी।

4. स्टार्टअप के विकास हेतु प्राथमिकता क्षेत्र

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख थ्रस्ट सेक्टरों को परिभाषित किया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस नीति का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर क्षेत्रीय प्रतिभा को सशक्त बनाना तथा एक सुदृढ़ नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम विकसित करना है।

प्राथमिकता क्षेत्र:

- (1) **थ्रस्ट सेक्टर्स** – औद्योगिक विकास नीति (2024-30) के परिशिष्ट (02) में निर्दिष्ट प्रमुख थ्रस्ट सेक्टर्स।
- (2) **इमर्जिंग सेक्टर्स** – फिनटेक, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज, ई-कॉमर्स, ट्रैवल-टेक, उपभोक्ता सेवाएँ, एडटेक, हेल्थ-टेक, असिस्टिव-टेक, एग्री-टेक, पब्लिक वेलफेयर स्टार्टअप, सर्कुलर इकोनामी स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)/मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी (AR/VR), बिग डेटा और ब्लॉकचेन तथा ग्रीनटेक।

5. प्रमुख परिभाषाएँ एवं उत्तरदायित्व

(1) स्टार्टअप की परिभाषा

इस नीति के प्रयोजनार्थ, स्टार्टअप शब्द का वही अर्थ होगा, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक G.S.R.34(A), दिनांक 16 जनवरी 2019 में परिभाषित किया गया है तथा समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों/परिवर्तनों के अनुसार होगा, जैसा कि नीचे परिभाषित है:

किसी इकाई को स्टार्टअप माना जाएगा यदि:

- (i) निगमीकरण/पंजीकरण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदारी फर्म के (भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59

के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो ।

- (ii) निगमीकरण /पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एंटीटी का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक न हो।
- (iii) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण ,विकास या सुधार के सम्बन्ध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावनाओं वाला स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बने किसी एंटीटी को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

राज्य शासन से स्टार्टअप मान्यता हेतु पात्रता

किसी इकाई को राज्य स्टार्टअप मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा:

- (i) इकाई को इस नीति की कंडिका 5(1) में उल्लेखित स्टार्टअप की परिभाषा अथवा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।
- (ii) इकाई, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वैध स्टार्टअप प्रमाण पत्र धारित करता हो ।
- (iii) इकाई का छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप इकाई को छत्तीसगढ़ में स्थापित/ संचालित होना आवश्यक होगा ।
- (iv) इकाई की गतिविधि छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-3 में वर्णित अपात्र उद्योगों की सूची तथा परिशिष्ट -5 वर्णित कोर सेक्टर उद्यमों की सूची में सम्मिलित न हो।
- (v) वे स्टार्टअप इकाइयां जो पूर्व में स्थापित पारंपरिक व्यावसायिक इकाइयों की केवल पुनरावृत्ति करने वाली गतिविधियों तक सीमित है, इस नीति के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) इनक्यूबेटर्स

इनक्यूबेटर (Incubator) ऐसे संस्थान होते हैं, जो नवोन्मेषकों (Innovators) और उद्यमियों को उनके व्यवसाय के प्रारम्भिक चरणों एवं उनके निरंतर विकास में मदद करते हैं। ये संस्थान व्यवसाय और अनुभव का लाभ देकर प्रौद्योगिकी सुविधाएँ, परामर्श, प्रारंभिक वित्तीय सहायता, नेटवर्क एवं संपर्क, सह-कार्यस्थल (co-working spaces), प्रयोगशाला सुविधाएँ और मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धी बनाना, क्षमता का विकास करना तथा बाजार तक पहुँच सुगम बनाना है।

(i) **इनक्यूबेशन केंद्र को विधिक इकाई के रूप में निम्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी।

(ख) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी।

(ग) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट।

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।

(ङ) राज्य शासन द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य वैधानिक निकाय।

(ii) **इनक्यूबेटर की मुख्य भूमिकाएँ एवं दायित्व -**

(क) स्टार्टअप्स को स्थिर, विस्तार योग्य और लाभकारी व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।

(ख) समर्पित भौतिक अधोसंरचना और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

(ग) विशेषज्ञ मार्गदर्शन हेतु क्षेत्र-विशिष्ट मेंटर नेटवर्क स्थापित करना।

(घ) नवाचार-केंद्रित कार्यक्रम और प्रेरक गतिविधियाँ आयोजित करना।

(ङ) उद्यमियों को प्रायोजित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

(च) शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, निवेशकों और अन्य इनक्यूबेटर्स के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

- (छ) प्रोटोटाइप प्रयोगशालाओं, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सुविधाओं, बाजार संपर्क और पायलट डिप्लॉयमेंट तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- (ज) इनक्यूबेशन, निवेश प्रोत्साहन और इकोसिस्टम निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली सक्षम टीम का गठन एवं संचालन करना।
- (झ) कॉर्पोरेट संस्थानों और शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रस्तावों को बढ़ावा देना।

- (3) एक्सेलेरेटर (Accelerator)** - एक्सेलेरेटर ऐसा संगठन है, जो स्वतंत्र रूप से या कॉर्पोरेट प्रोग्राम के रूप में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को गहन शिक्षा, मार्गदर्शन और वित्तपोषण के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। स्टार्टअप्स एक निश्चित अवधि के लिए इसमें भाग लेते हैं तथा मजबूत एवं स्थापित कंपनियों के रूप में उभरते हैं, जो तेजी से विस्तार के लिए तैयार होती हैं।
- (4) मेंटर (Mentor)** - मेंटर वह अनुभवी व्यक्ति या संस्था होगी, जो स्टार्टअप्स को उनके व्यवसायिक, तकनीकी एवं प्रबंधन निर्णयों में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। मेंटर स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, बाजार पहुँच और फंडिंग जैसी गतिविधियों में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उनका समग्र विकास और सफलता सुनिश्चित हो सके।
- (5) वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund)** - वेंचर कैपिटल फंड वह फंड है,
- जो ट्रस्ट या विधिवत रूप से कंपनी के रूप में स्थापित की गई हो;
 - पूंजी का समर्पित भंडार(Dedicated Fund) रखती हो;
 - संबंधित नियामक प्रावधानों के अनुसार पूंजी जुटाई हो; और स्टार्टअप्स में निवेश करती हो।
- (6) स्टार्टअप छत्तीसगढ़ (Startup Chhattisgarh)** - स्टार्टअप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। यह रणनीतिक नीति निर्माण, अधोसंरचना विकास और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढीकरण के माध्यम से उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- (7) एमर्जिंग टेक्नोलाजी (Emerging Technologies)** - एमर्जिंग टेक्नोलाजी अत्याधुनिक नवाचारों को दर्शाती हैं। ये प्रौद्योगिकीय योजना, निर्णय, विकास, कार्यान्वयन, समस्या समाधान, उत्पाद निर्माण और ट्रेंड पहचान में सहयोग प्रदान करती हैं।
- (8) एक्सेलेरेशन कार्यक्रम** - एक्सेलेरेशन वह कार्यक्रम है जिसमें स्टार्टअप को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तीव्र और केंद्रित सहायता प्राप्त होती है। ये कार्यक्रम स्टार्टअप्स के विकास में

मदद करते हैं, जैसे मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग और व्यापार नेटवर्क तक तात्कालिक पहुँच बन सके।

(9) इन्क्यूबेट्स (Incubates) – इन्क्यूबेट उस नवोन्मेषक या स्टार्टअप को कहा जाता है, जिसे मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन प्रोग्राम या बिज़नेस इनक्यूबेटर में स्वीकार किया गया हो और उसे अपनी विचारधारा या उत्पाद विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती हो। इसमें वर्किंग स्पेस, मेंटरशिप, तकनीकी सहायता, व्यावसायिक सलाह और वित्तीय पहुँच शामिल हो सकती है।

(10) कोहॉर्ट (Cohort) – स्टार्टअप का एक समूह, जिसे किसी स्टार्टअप इनक्यूबेशन/एक्सेलेरेशन प्रोग्राम में विशेष अवधि के लिए चयनित किया गया हो।

(11) प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) - प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) एक प्रारंभिक, लघु-स्तरीय परियोजना या प्रयोग है, जिसका उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि कोई विशेष विचार, प्रौद्योगिकी या दृष्टिकोण सफलतापूर्वक कार्य करेगा या नहीं।

(12) मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) - मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) उत्पाद का सबसे बुनियादी संस्करण है, जिसमें प्रारम्भिक उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने और उपयोगकर्ताओं तथा बाजार के बारे में सत्यापित जानकारी एकत्र करने के लिए पर्याप्त हो।

(13) संभावित उद्यमी (Aspiring Entrepreneur) - संभावित उद्यमी वह व्यक्ति, समूह या संस्था है जिसमें स्टार्टअप स्थापित करने की अभिरुचि हो और प्रारंभिक गतिविधियाँ जैसे विचार निर्माण, बाजार शोध, टीम निर्माण या प्रारंभिक उत्पाद विकास शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी तक उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया हो।

(14) स्टार्टअप के चरण (Stages of a Startup) - स्टार्टअप पाँच चरणों से गुजरता है:

- (i) **विचार निर्माण (Ideation)** – व्यवसायिक विचार का निर्माण और प्रारंभिक बाजार शोध।
- (ii) **सत्यापन (Validation)** – प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या MVP का विकास और परीक्षण।
- (iii) **प्रारंभिक वृद्धि (Early Traction)** – पहले ग्राहक और प्रारंभिक राजस्व।
- (iv) **विकास (Growth)** – संचालन का विस्तार, टीम का विस्तार और अतिरिक्त वित्तपोषण।
- (v) **परिपक्वता (Maturity)** – बाजार स्थिति को सुदृढ़ करना और नए बाजार या निकास रणनीतियों का अन्वेषण।

(15) महिला उद्यमी (Women Entrepreneur)

इस नीति अंतर्गत महिला उद्यमी से आशय/वर्ग की सुविधाओं के लिए पात्रता हेतु निम्नांकित शर्तें होंगी -

- (i) राज्य की मूल निवासी महिला से है जिसने उद्यम स्थापित करने प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो ,
- (ii) भागीदारी फ़र्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51% भागीदारी राज्य की महिला/महिलाओं की हो,
- (iii) भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी की दशा में 51% अंशधारिता राज्य की महिला/महिलाओं की हो,
- (iv) सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 % सदस्य राज्य की महिला/ महिलाओं की हो,
- (v) सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51% सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं हो
- (vi) उपरोक्त सभी श्रेणियों में यह भी आवश्यक होगा कि उनके उद्यम में प्रबंधकीय ,कुशल एवं अकुशल श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 50% (श्रेणीवार पृथक-पृथक) महिलाएं कार्यरत हो। साथ ही यदि उद्यम स्वामी महिला है तो उसे महिला संवर्ग के किसी भी संवर्ग प्रबंधकीय,कुशल,अकुशल श्रेणी में शामिल नहीं किया जावेगा ।

(16) दिव्यांग (Divyang/Disabled)- दिव्यांग से आशय उस व्यक्ति से है जो भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम सं 49) के तहत आता हो एवं इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारी हो ।

(17) सेवानिवृत्त सैनिक (Ex-Servicemen) - सेवानिवृत्त सैनिक से आशय है छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे मूल निवासी जो भारत सरकार के अर्धसैनिक बलों /सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं इस आशय का संबन्धित प्रशासकीय विभाग/ कार्यालय से प्रमाण पत्र धारित करता हो ।

(18) नक्सलवाद प्रभावित व्यक्ति - "नक्सलवाद प्रभावित व्यक्ति" का वही आशय होगा जो छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 में परिभाषित है ।

(19) परियोजना प्रतिवेदन से आशय है कि नवीन उद्यम की स्थापना/ विस्तारीकरण/ शक्तीकरण हेतु राज्य के किसी विभाग /उद्यमिता विकास केंद्र / EDII /CITCON /MSME संस्थान , राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक कंसलटेंट या निजी क्षेत्र के किसी कंसलटेंट , चार्टर्ड एकाउंटेंट, चार्टर्ड इंजीनियर से तैयार कराया गया , परियोजना प्रतिवेदन

जिसमें परियोजना की वित्तीय लागत विपणन की संभावनाएं, कच्चा माल की उपलब्धता तकनीकी पहलुओं, लाभ हानि आदि का उल्लेख हो।

(20) अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो केंद्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लागू परिभाषा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं उक्त वर्ग में अधिसूचित बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र धारी हो।

(21) पब्लिक वेलफ़ेयर स्टार्टअप - पब्लिक वेलफ़ेयर स्टार्टअप से तात्पर्य ऐसे स्टार्टअप से है जिनका प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल विकास, ग्रामीण आजीविका एवं कृषि, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एवं समावेशन, तथा सार्वजनिक सुरक्षा, सुशासन एवं नागरिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में प्रभावकारी सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करना हो।

(22) सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स - वे स्टार्टअप हैं जो संसाधनों के कुशल उपयोग, अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग (Reuse), पुनर्स्थापन (Restoration), पुनर्निर्माण (Refurbish), एवं पुनर्चक्रण (Recycle) जैसे सिद्धांतों पर आधारित समाधानों का विकास और क्रियान्वयन करता हो। इनका उद्देश्य उत्पादन और उपभोग की पारंपरिक रैखिक प्रक्रिया को बदलकर एक सतत, पुनर्योजी (Regenerative) एवं पर्यावरण-अनुकूल प्रणाली को बढ़ावा देना होता है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आए।

(23) शेष अन्य परिभाषाएं वही मान्य होंगी जो औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित होंगी।

6. स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन

स्टार्टअप्स को वित्तीय बाधाओं और विस्तार से संबंधित चुनौतियों का सामना करने तथा उद्यमशीलता की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु, राज्य शासन द्वारा स्टार्टअप्स इकाइयों को उनके विकास-चरणों और क्षेत्रों के आधार पर निम्नानुसार वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जावेगा, यह सहायता केवल राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को ही प्रदान की जावेगी :-

(1) छत्तीसगढ़ सीड फंड सहायता (CGSF)

राज्य शासन से मान्यता प्राप्त ऐसे स्टार्टअप जिनके पास मान्य प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो, को इन्क्यूबेशन केंद्र की अनुशंसा के आधार पर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) विकसित करने हेतु अधिकतम ₹ 10 लाख तक का सीड फण्ड प्रदान किया जावेगा। यह सहायता प्राप्त करने हेतु

स्टार्टअप को किसी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में न्यूनतम तीन माह तक इनक्यूबेटेड होना आवश्यक होगा।

स्टार्टअप द्वारा सीड फण्ड का उपयोग, भूमि क्रय या भवन अधोसंरचना संबंधी व्यय हेतु नहीं किया जावेगा तथा यह वित्तीय सहायता केवल उन्हीं पात्र स्टार्टअप्स को प्रदान की जाएगी जो स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी (SSIP) 2025, तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत पात्र न हों।

राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के निर्माण हेतु सीड फंड प्राप्त न किया हो।

(2) छत्तीसगढ़ स्टार्टअप (कैपिटल) फंड

राज्य शासन द्वारा राज्य में स्टार्टअप्स की पूंजी तक पहुँच बढ़ाने हेतु राशि ₹ 100 करोड़ का छत्तीसगढ़ स्टार्टअप (कैपिटल) फंड का निर्माण किया जावेगा। इसके अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा चयनित एवं सूचीबद्ध SEBI-पंजीकृत ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) को अधिकतम ₹ 50 करोड़ तक का मैचिंग कैपिटल उपलब्ध कराएगी। कुल निवेश में राज्य का अंशदान अधिकतम 50% होगा, जबकि शेष 50% का निवेश सहभागी AIFs द्वारा किया जावेगा। इन AIFs के माध्यम से केवल राज्य में स्थापित/संचालित स्टार्टअप इकाइयों में निवेश किया जावेगा। छत्तीसगढ़ स्टार्टअप (कैपिटल) फण्ड का 10 % राशि प्राथमिकता क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप इकाइयों हेतु आरक्षित की जावेगी।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य क्रेडिट रिस्क फंड (CCRF)

राज्य में स्थापित होने वाले राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु पृथक से राशि ₹ 50 करोड़ के क्रेडिट रिस्क फण्ड का निर्माण किया जावेगा जिसके अंतर्गत स्टार्टअप इकाइयों को बैंकों से ₹1 करोड़ तक के संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण प्राप्त करने हेतु क्रेडिट गारंटी प्रदान की जावेगी।

(4) ब्याज अनुदान

राज्य के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स इकाइयों को भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये गए अधिकतम ₹50 लाख तक सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी पर पाँच वर्षों की अवधि हेतु भुगतान किये गए ब्याज पर 75% ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(5) राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु अनुदान

छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा स्टार्टअप केन्द्रित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने, उन्हें निम्नानुसार अनुदान प्रदान की जाएगी:

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजन – स्टार्टअप इकाइयों को प्रतिवर्ष अधिकतम तीन स्टार्टअप केन्द्रित कार्यक्रमों/आयोजनों में भाग लेने पर होने वाले कुल व्यय (जिसमें यात्रा, बूथ और पंजीकरण/भागीदारी शुल्क) का 50% प्रतिपूर्ति प्रदान की जावेगी, राष्ट्रीय कार्यक्रमों/आयोजनों हेतु अधिकतम सीमा ₹ 2,00,000 तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु अधिकतम सीमा ₹3,00,000 प्रति वर्ष तक होगी।

(6) ऑनलाइन विज्ञापन व्यय प्रतिपूर्ति

राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स इकाइयों को डिजिटल प्लेटफार्म Meta (Facebook/Instagram/YouTube Ads, LinkedIn, Microsoft Ads, Google Ads) तथा विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य प्लेटफॉर्म में इकाई द्वारा विज्ञापन करने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी। यह सुविधा प्रत्येक इकाई को, स्टार्टअप के रूप में संचालित रहने की अवधि में, अधिकतम दो बार प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु ₹3 लाख तक होगी।

(7) सफल फंडरेजिंग हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

सेबी (SEBI) पंजीकृत ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) अथवा वेंचर कैपिटलिस्ट्स (VCs) से सफलतापूर्वक निवेश प्राप्त करने पर स्टार्टअप में निवेशित राशि का 20%, अधिकतम ₹10 लाख तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन सीड फण्ड अथवा एंजल निवेशक से प्राप्त निवेश पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – राज्य के स्टार्टअप (कैपिटल) फंड का उपयोग कर सूचीबद्ध AIFs द्वारा किए गए निवेश पर यह प्रोत्साहन लागू नहीं होगा।

(8) सार्वजनिक खरीद में छूट

राज्य शासन द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2025) में उल्लेखित उपनियमों के आधार पर स्टार्टअप इकाइयों को सरकारी खरीद में छूट प्रदान की जावेगी।

(9) स्टाम्प शुल्क छूट

राज्य में स्थापित/संचालित मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों के अनुरूप निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क छूट की पात्रता होगी:-

- (i) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय या पट्टे से संबंधित निष्पादित विलेखों पर, तथा भूमि लीज से संबंधित विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।
- (ii) ऋण अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर, बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि से आगामी **03 वर्षों** की अवधि तक।

(10) किराया अनुदान

छत्तीसगढ़ में स्थापित/संचालित मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को, तीन वर्षों तक, व्यवसायिक किराये के भवन अथवा इनक्यूबेशन सेंटर में स्थापित/संचालित रहने की स्थिति में, भुगतान किए गए मासिक किराए की राशि का 50% प्रतिमाह अधिकतम राशि ₹15,000 की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।

पब्लिक वेलफेयर तथा सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप इकाइयों को अतिरिक्त 5% अनुदान की पात्रता होगी।

(11) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

छत्तीसगढ़ में स्थापित/संचालित मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को 35% स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, अधिकतम ₹35 लाख तक प्रदान किया जावेगा।

सीड फंड सहायता/फंडरेजिंग सहायता को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में समायोजित किया जावेगा तथा किराया अनुदान प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों के, शेड/ भवन मद में निवेशित राशि को स्थायी पूंजी निवेश अंतर्गत गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

(12) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गए व्यय का 75%, अधिकतम ₹10 लाख तक प्रतिपूर्ति की जावेगी।

(13) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 1%, अधिकतम ₹5 लाख तक अनुदान दिया जावेगा

(14) तकनीकी पेटेंट अनुदान

राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को पेटेंट प्राप्त करने में हुए व्यय का 75% प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय पेटेंट के लिए अधिकतम ₹10 लाख तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए अधिकतम ₹20 लाख तक।

(15) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान

राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय पर हुए व्यय का 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹10 लाख तक।

(16) रोजगार सृजन अनुदान

राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों द्वारा 10 से अधिक स्थायी रोजगार प्रदान करने वाले स्टार्टअप इकाइयों द्वारा उनके स्थायी नियोजन में सम्मिलित ₹50,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रत्येक महिला कर्मचारी हेतु ₹6,000 तथा पुरुष कर्मचारी हेतु ₹5,000 मासिक अनुदान की पात्रता इकाई के उत्पादन/सञ्चालन दिनांक से 5 वर्षों तक होगी जिसकी अधिकतम सीमा राशि ₹5.00 लाख तक होगी।

(17) दिव्यांग (निःशक्त) व्यक्तियों, सेवानिवृत्त अग्रिवीर व नक्सल प्रभावित/पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान

पात्र स्टार्टअप इकाइयों द्वारा दिव्यांग (निःशक्त) व्यक्तियों, सेवानिवृत्त अग्रिवीर व नक्सल प्रभावित/पीड़ित व्यक्तियों को स्थायी रोजगार प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक का 40% राशि की प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष, 05 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।

(18) प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति

पात्र स्टार्टअप इकाइयों में रु ₹50,000 प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक मूल निवासी कर्मचारियों के मामले में एक बार प्रशिक्षण पर उनके नियोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाले एक माह का वेतन या अधिकतम राशि ₹15,000 प्रति व्यक्ति जो कम हो की दर से उद्यम के व्यावसायिक उत्पादन/सञ्चालन दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि हेतु प्रदान की जावेगी।

(19) पात्रता शर्तें

- (i) विकल्प प्रावधान :- औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 के नियत दिनांक से इस नीति के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक तक स्टार्टअप इकाइयों के प्राप्त सभी आवेदन जिनके द्वारा स्टाम्प शुल्क छूट औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 के अंतर्गत प्राप्त किया हो, उन इकाइयों को औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 के अंतर्गत स्टार्टअप पैकेज अथवा इस नीति के चयन का विकल्प उपलब्ध रहेगा, यह विकल्प स्टार्टअप इकाइयों को इस नीति के अधिसूचित होने के दिनांक से 90 दिवसों के भीतर सम्बंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त विकल्प प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे। तथा इस नीति के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक के पश्चात प्राप्त

सभी आवेदन को केवल इस नीति के अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी ।

- (ii) विकल्प चयन प्राप्त करने वाले स्टार्टअप इकाइयों को आंशिक निवेश प्रोत्साहन (कुछ अनुदान/ छूट/रियायते औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 व कुछ अनुदान, छूट, रियायते इस नीति अंतर्गत) स्वीकार्य नहीं होगा। परन्तु वे स्टार्टअप इकाइयाँ जिनके द्वारा इस नीति के अंतर्गत केवल सीड फण्ड प्राप्त किया गया , उन स्टार्टअप इकाइयों को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त होगा परन्तु यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तिनीय होगा तथा सीड फण्ड की राशि स्टार्टअप इकाई को स्वीकृत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि के साथ समायोजित की जावेगी ।
- (iii) औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 की कालावधि में उत्पादन /सेवा गतिविधि प्रारंभ करने वाले स्टार्टअप इकाइयाँ ही इस नीति के अंतर्गत प्रावधानित लाभ हेतु पात्र होंगे। परन्तु ऐसे स्टार्टअप इकाइयाँ जिनके द्वारा उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्राप्त की गयी है वे इस नीति में उल्लेखित राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु अनुदान के लिए पात्र होंगे।

7. इनक्यूबेशन इकोसिस्टम

नवीन विचारों को व्यवसाय में बदलने में इनक्यूबेशन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी दृष्टिकोण से राज्य में स्टार्टअप को मार्गदर्शन, अधोसंरचना और संसाधन उपलब्ध हों, जो उन्हें स्थिर और प्रभावी रूप से विस्तार करने में सहायता करने, इनक्यूबेटर्स की स्थापना और उनके उन्नयन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(1) छत्तीसगढ़ का हब एंड स्पोक इनक्यूबेटर्स नेटवर्क

छत्तीसगढ़ राज्य एक सशक्त और समन्वित इनक्यूबेशन इकोसिस्टम के निर्माण हेतु हब एंड स्पोक इनक्यूबेटर्स नेटवर्क स्थापित करेगा, जो राज्य भर में इनक्यूबेटर्स के संचालन को व्यवस्थित, प्रभावी और मजबूत बनाने में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करेगा।

(i) मेगा इनक्यूबेटर / हब इनक्यूबेटर

छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा इनक्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जावेगा जो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले गतिशील हब के रूप में कार्य करेंगे। ये इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप का पोषण, नवाचार को बढ़ावा और महिला संस्थापकों तथा युवाओं को मार्गदर्शन, अधोसंरचना, वित्तीय अवसर और रणनीतिक दिशा प्रदान करके सशक्त बनाएंगे। मेगा

इनक्यूबेटर्स हब इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करेंगे और राज्य भर के इनक्यूबेटर्स को रणनीतिक मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग और मेंटरशिप प्रदान करेंगे। ये राज्य-स्तरीय स्टार्टअप प्रोत्साहन और विकास पहल में भी केंद्रीय भूमिका निभाएंगे।

(ii) स्पोक इनक्यूबेटर्स

राज्य में इनक्यूबेशन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों के सहयोग से इनक्यूबेटर्स की स्थापना और उन्नयन को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्पोक इनक्यूबेटर्स क्षेत्रीय उत्प्रेरक (regional catalyts)के रूप में कार्य करेंगे, अपने-अपने फोकस क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे।

(2) इनक्यूबेटर्स के लिए वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा एक सक्रिय इनक्यूबेशन इकोसिस्टम स्थापित करने के उद्देश्य से पूंजीगत और संचालन सहायता प्रावधानित है यह सहायता इनक्यूबेटर अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ राज्य में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

इनक्यूबेटर्स को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी :-

श्रेणी	पात्रता मानदंड	वित्तीय सहायता
टियर -1 शासकीय	<p>(i) प्रस्तावित इनक्यूबेटर को इस नीति की कंडिका क्रमांक 5(2)(i) के अनुसार विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।</p> <p>(ii) न्यूनतम 3 वर्षों का इनक्यूबेटर संचालन का अनुभव हो एवं न्यूनतम 3 इनक्यूबेशन कोहॉर्ट्स का संचालन किया हो।</p> <p>(iii) न्यूनतम 30 इनक्यूबेटर्स के साथ, इनक्यूबेटर/ एक्सेलेरेटर के रूप में कार्य किया हो तथा न्यूनतम 4 स्टार्टअप इकाइयों को फंडिंग सपोर्ट प्रदान किया हो।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर को उपरोक्तानुसार मापदंड पूर्ण करने वाले किसी अन्य इनक्यूबेटर के साथ औपचारिक</p>	<p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर्स को उनके परियोजना लागत का 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिसमें पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की अधिकतम सीमा 40% होगी। पात्र संचालन व्यय को 5 वर्षों की अवधि में विभाजित किया जाएगा तथा इसे वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।</p>

	<p>सहभागिता/साझेदारी(collaboration) करना आवश्यक होगा ।</p> <p>(iv) प्रस्तावित इनक्यूबेटर द्वारा राज्य में न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट निर्माण क्षेत्र (बिल्ट-अप क्षेत्र) चिन्हांकित कर लिया हो, जिसमें न्यूनतम 25 इनक्यूबेट्स के कार्य हेतु जगह उपलब्ध हो ।</p>	
टियर -2 शासकीय	<p>(i) प्रस्तावित इनक्यूबेटर को इस नीति की कंडिका क्रमांक 5(2)(i) के अनुसार विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।</p> <p>(ii) न्यूनतम 3 वर्षों का इनक्यूबेटर संचालन का अनुभव हो एवं न्यूनतम 3 इनक्यूबेशन कोहॉर्ट्स का संचालन किया हो ।</p> <p>(iii) न्यूनतम 30 इनक्यूबेट्स के साथ, इनक्यूबेटर/ एक्सेलेरेटर के रूप में कार्य किया हो तथा न्यूनतम 2 स्टार्टअप इकाइयों को फंडिंग सपोर्ट प्रदान किया हो ।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर को उपरोक्तानुसार अनुभव प्राप्त किसी अन्य इनक्यूबेटर के साथ औपचारिक सहभागिता/साझेदारी (collaboration) करना आवश्यक होगा ।</p> <p>(iv) प्रस्तावित इनक्यूबेटर द्वारा राज्य में न्यूनतम 5,000 वर्ग फीट निर्माण क्षेत्र(बिल्ट-अप क्षेत्र) चिन्हांकित कर लिया हो जिसमें न्यूनतम 15 इनक्यूबेट्स के कार्य हेतु जगह उपलब्ध हो।</p>	<p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर्स को उनके परियोजना लागत का 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिसमें पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की अधिकतम सीमा 40% होगी । पात्र संचालन व्यय को 5 वर्षों की अवधि में विभाजित किया जाएगा तथा इसे वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।</p>

निजी क्षेत्र में स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्रों हेतु सहायता :

श्रेणी	पात्रता मानदंड	वित्तीय सहायता
टियर -1 निजी	<p>(i) प्रस्तावित इनक्यूबेटर को इस नीति की कंडिका क्रमांक 5(2)(i) के अनुसार विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।</p> <p>(ii) न्यूनतम 3 वर्षों का इनक्यूबेटर संचालन का अनुभव हो</p> <p>(iii) न्यूनतम 5 इनक्यूबेशन कोहॉर्ट्स का संचालन किया हो, तथा न्यूनतम 50 इनक्यूबेट्स के साथ इनक्यूबेटर के रूप में तथा न्यूनतम 10 इनक्यूबेट्स के साथ एक्सेलेरेटर के रूप में कार्य किया हो।</p> <p>(iv) विगत 3 वर्षों में न्यूनतम 5 स्टार्टअप्स को सरकारी योजनाओं /एंजेल फंड /वेंचर कैपिटल से निवेश प्राप्त करने में सहयोग किया हो।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर को उपरोक्तानुसार अनुभव प्राप्त किसी अन्य इनक्यूबेटर के साथ औपचारिक सहभागिता/साझेदारी (collaboration) करना आवश्यक होगा।</p> <p>(v) प्रस्तावित इनक्यूबेटर द्वारा राज्य में न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट निर्माण क्षेत्र (बिल्ट-अप क्षेत्र) चिह्नंकित कर लिया हो, जिसमें न्यूनतम 25 इनक्यूबेट्स के कार्य हेतु व्यवस्था की जा सके।</p>	<p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर्स को उनके परियोजना लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा राशि ₹3 करोड़ रुपये होगी। जिसमें पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की अधिकतम सीमा 40% होगी। पात्र संचालन व्यय को 5 वर्षों की अवधि में विभाजित किया जाएगा तथा इसे वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।</p>
टियर -2 निजी	<p>(i) प्रस्तावित इनक्यूबेटर को इस नीति की कंडिका क्रमांक 5(2)(i) के अनुसार विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।</p> <p>(ii) न्यूनतम 3 वर्षों का इनक्यूबेटर संचालन का अनुभव हो</p> <p>(iii) न्यूनतम 3 इनक्यूबेशन कोहॉर्ट्स का संचालन किया हो,</p>	<p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर्स को उनके परियोजना लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा राशि ₹2 करोड़ रुपये होगी। जिसमें</p>

	<p>तथा न्यूनतम 30 इनक्यूबेटर्स के साथ इनक्यूबेटर के रूप में कार्य किया हो।</p> <p>(iv) विगत 3 वर्षों में न्यूनतम 2 स्टार्टअप्स को सरकारी योजनाओं/एंजेल फंड/वेंचर कैपिटल से निवेश प्राप्त करने में सहयोग किया हो।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>प्रस्तावित इनक्यूबेटर को उपरोक्तानुसार अनुभव प्राप्त किसी अन्य इनक्यूबेटर के साथ औपचारिक सहभागिता/साझेदारी (collaboration) करना आवश्यक होगा।</p> <p>(v) प्रस्तावित इनक्यूबेटर द्वारा राज्य में न्यूनतम 5,000 वर्ग फीट निर्माण क्षेत्र (बिल्ट-अप क्षेत्र) चिह्नित कर लिया हो। जिसमें न्यूनतम 15 इनक्यूबेटर्स के कार्य हेतु व्यवस्था की जा सके।</p>	<p>पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की अधिकतम सीमा 40% होगी।</p> <p>पात्र सञ्चालन व्यय को 5 वर्षों की अवधि में विभाजित किया जाएगा तथा इसे वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।</p>
--	--	---

विशेष क्षेत्र:

समूह-3 विकासखण्डों (औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-4 के अनुसार) तथा बस्तर और सरगुजा संभाग के समूह-2 विकासखंड को उपरोक्त उल्लेखित वित्तीय सहायता में 10% अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी।

(3) इनक्यूबेटर उन्नयन एवं संचालन अनुदान

राज्य में स्थापित इनक्यूबेटर्स को अपने मान्य स्थायी पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 % की वृद्धि तथा अपने इनक्यूबेशन क्षमता (सीटों की संख्या) में 25% की वृद्धि करने पर इस नीति की कंडिका 7 (2) में उल्लेखित मात्रा अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

स्थापित इनक्यूबेटर हेतु पात्रता मानदंड:

- (i) नीति में कंडिका 5(2)(i) के अनुसार परिभाषित इनक्यूबेटर होना आवश्यक होगा।
- (ii) आवेदन के समय न्यूनतम 2 वर्ष तक संचालन अनुभव होना आवश्यक होगा।

- (iii) इनक्यूबेशन केंद्र में न्यूनतम 20 इनक्यूबेटर्स के लिए बैठने की क्षमता तथा न्यूनतम 5 स्टार्टअप्स इकाइयों को इनक्यूबेशन प्रदान किया गया हो।
- (iv) पिछले वित्तीय वर्षों के लिए ऑडिटेड वार्षिक वित्तीय विवरण।
- (v) मेंटरशिप, तकनीकी और व्यवसायिक सहायता के लिए योग्य टीम उपलब्ध हो।
- (vi) इनक्यूबेशन केंद्र, केंद्र/राज्य शासन की किसी योजना के तहत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर हो।

अन्य अतिरिक्त मानदंड जो नोडल विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हो।

(4) कार्यक्रम आयोजन अनुदान

मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को स्टार्टअप्स, नवाचार और उद्यमिता से संबंधित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने पर अधिकतम ₹1 लाख प्रति कार्यक्रम सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम वार्षिक सीमा ₹4 लाख प्रति इनक्यूबेटर तक होगी। यह सहायता राशि इनक्यूबेटर द्वारा कार्यक्रम में किए गए वास्तविक योगदान से अधिक नहीं होगी।

(5) एक्सलरेशन कार्यक्रम

इनक्यूबेशन केन्द्रों द्वारा विकास चरण के स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने हेतु, न्यूनतम 8 सप्ताह की अवधि हेतु एक्सलरेशन कार्यक्रम (कोहोर्ट) आयोजित करने पर, उन्हें आयोजन हेतु अधिकतम ₹15 लाख तक की व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की जावेगी। इस हेतु इनक्यूबेशन केन्द्रों को नोडल विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा वास्तविक व्यय और अनुमोदित लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर ही राशि वितरित होगी।

पात्रता:

- (i) राज्य शासन से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर ही इस अनुदान हेतु पात्र होंगे।
- (ii) प्रस्तावित कार्यक्रम न्यूनतम 8 सप्ताह का होना आवश्यक, जिसमें न्यूनतम 10 विकास-चरण के स्टार्टअप्स सम्मिलित हो, एक निर्धारित पाठ्यक्रम और परिभाषित परिणाम हो।

(6) कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-नेतृत्व वाले नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन की इस नीति के अंतर्गत कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल्स (CISCs) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल के संचालन हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम ₹5 लाख तक की सहायता किसी मान्यता प्राप्त एवं विशिष्ट रूप से चिन्हांकित महाविद्यालय को ही प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग सेल द्वारा विचार-सृजन, प्रोटोटाइपिंग, मेंटरशिप, स्टार्टअप आउटरीच एवं इनोवेशन चैलेंज जैसी नवाचार सम्बंधित गतिविधियों में किया जाएगा।

पात्रता मानदंड:

- (i) कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल की स्थापना छत्तीसगढ़ स्थित किसी राज्य/केंद्र सरकार संबद्ध अथवा मान्यता प्राप्त उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थान में होना चाहिए।
- (ii) संस्थान में एक सक्रिय इनोवेशन या उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ होना चाहिए अथवा पूर्व की गतिविधियों के माध्यम से स्टार्टअप संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए।
- (iii) कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल को प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित गतिविधियों, बजट उपयोग तथा अपेक्षित परिणामों का वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी।
- (iv) संस्थान को अपने स्वयं के संसाधनों अथवा भागीदारी के माध्यम से राज्य द्वारा प्रदत्त संचालन सहयोग के बराबर योगदान करना होगा।
- (v) कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल को छात्रों की सहभागिता, स्टार्टअप परिणामों का अभिलेख रखना होगा तथा राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति को अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

8. विशेष प्रावधान

(1) प्राथमिकता, महिला एवं विशेष श्रेणी के उद्यमी हेतु प्रावधान

- (i) राज्य शासन से सहायता प्राप्त इनक्यूबेशन केन्द्रों में कुल इनक्यूबेशन सीट का 10% सीटें महिलाओं और विशेष श्रेणी के उद्यमियों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अग्निवीर तथा दिव्यांगजन के लिए) आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- (ii) नीति अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन में महिला एवं विशेष श्रेणी उद्यमियों को 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जावेगा।
- (iii) राज्य शासन से सहायता प्राप्त इनक्यूबेशन केन्द्रों में कुल इनक्यूबेशन सीट का 10% सीटें प्राथमिकता क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप इकाइयों हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(2) डिजिटल अधोसंरचना

राज्य में इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु राज्य एक एकीकृत स्टार्टअप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित करेगा। यह सिंगल-विंडो इंटरफ़ेस स्टार्टअप्स को नीति में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा।

प्रशासनिक सुविधा के अतिरिक्त यह प्लेटफ़ॉर्म मेंटर, निवेशक, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और अन्य प्रमुख इकोसिस्टम हितधारकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक होगा। यह प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध सभी संसाधनों को एक स्थान में लाकर, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर स्टार्टअप्स को उनकी विकास के प्रत्येक चरण में सशक्त करेगा, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति मिलेगी।

(3) आईपी एवं प्रौद्योगिकी सुविधा प्रकोष्ठ

राज्य नवाचार इकोसिस्टम को सशक्त करने हेतु एक समर्पित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी फ़ैसिलिटेशन सेल की स्थापना/सुदृढीकरण का प्रयास करेगा। यह प्रकोष्ठ बौद्धिक सम्पदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, व्यावसायीकरण के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों का संकलन करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने और उद्यमशील क्षमताओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह स्टार्टअप्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स संबंधित प्रक्रियाओं में रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिससे नवाचार संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और बौद्धिक संपदाओं का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। इस उद्देश्य हेतु राज्य शासन इस क्षेत्र में कार्यरत सम्बंधित संस्थानों से सहयोग प्राप्त करेगा।

(4) स्टार्टअप नगर

राज्य शासन द्वारा "स्टार्टअप नगर" विकसित करने हेतु प्रयास किये जावेंगे, जहाँ स्टार्टअप से संबन्धित सभी हितधारकों इनक्यूबेटर, को-वर्किंग, स्पेस निवेशक, बैंकर, मेकरस्पेस, प्रयोगशालाएं और उत्कृष्टता केंद्र को एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, यहाँ सार्वजनिक सुविधाएं जैसे ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग स्थल, मनोरंजन क्षेत्र और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

9. उद्यमियता हेतु कार्यक्रम

(1) छत्तीसगढ़ इनोवेशन चैलेंज

राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा स्टार्टअप पोर्टल पर प्रस्तुत समस्या विवरणों के आधार पर उच्चप्रभाव वाले आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु राज्यभर के संस्थानों, स्टार्टअप्स एवं

योग्य इकाइयों से नवीन संकल्पनाएं (Innovative concept) आमंत्रित किये जावेगे तथा चयनित संकल्पनाओं को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सहायता का स्वरूप:

- (i) अधिकतम ₹25 लाख तक की अनुदान सहायता, जिसे चार चरणों में अथवा नोडल विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार जारी किया जाएगा।
- (ii) चयनित सभी समाधानों को इनक्यूबेटरों से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें अनुसन्धान एवं विकास में सहायता, प्रयोगशालाओं का उपयोग, उपलब्ध सुविधाएँ, कार्यालय स्थान, एवं नियमित मेंटरशिप मिल सके।
- (iii) छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002(यथा संसोधित 2025) में पात्र स्टार्टअप्स के लिए, निर्धारित मानदंड पूरे करने पर, शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

(2) स्टार्टअप हैकथॉन कार्यक्रम

राज्य शासन द्वारा स्टार्टअप पोर्टल पर समय-समय पर राज्य-विशिष्ट अथवा विषय-आधारित समस्या विवरण प्रकाशित करेगा और स्टार्टअप्स को हैकथॉन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेगा। इस समयबद्ध प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को, उद्योग एवं सरकार द्वारा सामना की जा रही वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु कार्यशील प्रोटोटाइप अथवा MVP (Minimum Viable Product) विकसित करने की चुनौती दी जाएगी।

चयनित नवाचारों का मूल्यांकन नोडल विभाग द्वारा किया जाएगा और उन्हें इनक्यूबेशन, राशि ₹ 5.00 लाख का वित्तीय सहयोग, परीक्षण एवं परिनियोजन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा जिससे चयनित विचार प्रभावी समाधान में परिवर्तित हो सकें।

पात्रता:

स्टार्टअप्स को इस नीति में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं से इसी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं होना चाहिए।

आवेदन एवं चयन प्रक्रिया:

- (i) आवेदन आमंत्रण: राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से हैकथॉन की सार्वजनिक घोषणा कर पात्र स्टार्टअप्स से आवेदन प्राप्त किए जावेंगे
- (ii) स्क्रीनिंग: आयोजन हेतु घोषित स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राप्त आवेदनो की प्रारंभिक समीक्षा पात्रता एवं प्रासंगिकता के आधार पर की जावेगी

- (iii) हैकथॉन का आयोजन: चयनित स्टार्टअप्स के द्वारा परिभाषित समस्या विवरण पर कार्य किया जावेगा ।
- (iv) अंतिम मूल्यांकन: इस आयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा पिच का मूल्यांकन कर विजेताओं का चयन किया जावेगा ।
- (v) सहायता: चयनित स्टार्टअप्स को आगे के विकास एवं क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी ।

(3) स्टार्टअप वार्षिक दिवस

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं कंपनियों की भागीदारी के साथ राज्य में प्रतिवर्ष स्टार्टअप-डे का आयोजन किया जावेगा।

(4) स्टार्टअप आयोजन

राज्य शासन द्वारा राज्य-स्तरीय बहु-हितधारक आयोजन किया जावेगा जिसमें, कॉन्फ्रेंस, मीटअप्स, बूट कैंप, मेंटरिंग सत्र, स्टार्टअप मेला, डेमो-डे, इन्वेस्टर कनेक्ट, स्टार्टअप यात्रा, स्टार्टअप विनिमय कार्यक्रम, राज्य स्तरीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव सम्मिलित है । इन आयोजनों का उद्देश्य स्टार्टअप्स, निवेशकों, उद्योग, मेंटर्स एवं सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा।

10. प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुशासन

राज्य शासन द्वारा स्टार्टअप संबंधित नीतियों एवं पहलों का प्रभावी डिज़ाइन, क्रियान्वयन तथा निरंतर सुधार हेतु एक सुदृढ़ क्रियान्वयन, व्यवस्था किया जावेगा । यह व्यवस्था संस्थागत क्षमता निर्माण, विभागीय समन्वय एवं डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण पर केंद्रित होगा।

(1) नोडल विभाग

राज्य में स्टार्टअप संवर्धन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल विभाग होगा तथा संचालक उद्योग नोडल अधिकारी होंगे। नोडल विभाग रणनीति निर्धारण, आवश्यक संसाधन की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) कार्यान्वयन एजेंसी

उद्योग संचालनालय तथा इसके अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इस नीति हेतु कार्यान्वयन एजेंसी (IA) होंगे । कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पहल के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों जैसे समर्पित प्रकोष्ठों की स्थापना, हितधारक सहभागिता एवं सहयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

(3) राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति (SSPC)

राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन, प्रगति की समीक्षा एवं पुनर्विचार किया जावेगा तथा इनक्यूबेटर, स्टार्टअप फंड और अन्य नीतिगत प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समुचित व्यवस्था करेगी।

समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा-

- (i) संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि – अध्यक्ष
- (ii) MSME-DFO के प्रतिनिधि जो सहायक निदेशक से अनिम्न स्तर के हो (आवश्यकतानुसार)
- (iii) संयुक्त संचालक (वित्त), उद्योग संचालनालय
- (iv) संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय – सदस्य सचिव
- (v) CHiPS के प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार)

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त समिति द्वारा विषय विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं शैक्षणिक क्षेत्र के प्रतिनिधि, निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ को आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किया जा सकेगा। कोरम पूर्ति हेतु न्यूनतम 4 सदस्य की आवश्यकता होगी।

SSPC की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व:

- (i) समिति मासिक बैठक करेगी और प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर स्टार्टअप इकाइयों एवं इनक्यूबेटरों को अनुमोदन प्रदान करेगी।
- (ii) समिति इनक्यूबेशन केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर सुधार हेतु निर्देश जारी करेगी।
- (iii) समिति अनुदान, प्रोत्साहन, सब्सिडी और छूट के अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगी।
- (iv) समिति स्टार्टअप संवर्धन से संबंधित अन्य निर्णय लेने हेतु भी अधिकृत होगी। स्टार्टअप एवं इनक्यूबेटर को समिति द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात ही छूट/अनुदान की पात्रता होगी।

11. सामान्य नियम एवं शर्तें

- (1) इस नीति में प्रावधानित अनुदान, प्रोत्साहन, रियायतें एवं अन्य प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएँ जारी की जावेगी।
- (2) नीति अथवा उसके संचालन दिशा-निर्देशों की व्याख्या, प्रतिक्रिया या कार्यान्वयन संबंधी विवादों का निपटारा नोडल विभाग द्वारा किया जाएगा। नोडल विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- (3) इस स्टार्टअप नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, नीति के अंतर्गत आवंटित बजट का पाँच प्रतिशत (5%) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के संचालन हेतु प्रावधानित किया जावेगा। PMU नीति क्रियान्वयन, हितधारक सहभागिता, डिजिटल अधोसंरचना तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यों में नोडल विभाग के अधीन कार्य करेगा तथा प्राप्त प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण कर विभाग को प्रस्तुत करेंगे
- (4) विभिन्न अनुदान योजना हेतु आवेदन प्रारूप संचालक उद्योग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

12. प्रशासनिक प्रावधान

- (1) स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को इस नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता मिलेगी। अधिसूचना/दिशानिर्देशों में संशोधन विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति से किया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेज़ी संस्करणों में किसी विसंगति की स्थिति में हिंदी संस्करण मान्य होगा।
- (2) इस नीति के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी समय—
- (i) इस नीति में संशोधन कर सकता है।
 - (ii) प्रावधानों में शिथिलता दे सकता है।
 - (iii) नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने हेतु दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

Nava Raipur Atal Nagar, the 18th February 2026

NOTIFICATION

No. PROJ/2617/2025-O/O DS(C&I). - Since it is necessary to encourage startup entities to accelerate the development of the startup ecosystem in the state for the larger public interest of the state,

Therefore, the State Government hereby notifies the Chhattisgarh Innovation and Startup Promotion Policy 2025-30 as attached.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.

Chhattisgarh Innovation and Startup Promotion Policy 2025-2030

1. Introduction

(1) India's Thriving Startup Ecosystem

India has emerged as a global powerhouse in innovation and entrepreneurship, boasting as one of the most vibrant startup ecosystems in the world. With over 1.57 lakh DPIIT-recognized startups and an average of 80 new startups registered daily, the country ranks as the third-largest startup hub globally. This dynamic landscape has generated over 1.73 million direct jobs, significantly contributing to national economic growth. The rise of over 118 unicorns and the increasing participation of women entrepreneurs with more than 73,000 startups led by women entrepreneurs/ directors reflects the inclusive and expansive nature of the startup journey.

The ecosystem comprises over 70,000 tech startups, spanning a wide array of sectors including fintech, enterprise tech, e-commerce, travel tech, consumer services, edtech, cleantech, health tech, real estate tech and deep tech, driven by robust government initiatives such as Startup India, Digital India, and Make in India. India has been able to foster a deep-rooted startup ecosystem supported by dedicated state-level policies and missions. This competitive spirit among states has catalyzed a nationwide movement toward entrepreneurship and innovation.

(2) Chhattisgarh – the emerging hub for Startups

Chhattisgarh, one of India's fastest growing states, is steadily transforming into a hub of innovation, entrepreneurship, and sustainable development. With its rich mineral resources, diverse cultural heritage, and strategic location in central India, the state offers immense opportunities for building businesses across sectors. Recognizing the transformative power of startups in driving inclusive growth, job creation, and technological progress, the Government of Chhattisgarh has formulated a dedicated Startup Policy to nurture a vibrant entrepreneurial ecosystem.

Presently, Chhattisgarh is home to more than 2000 DPIIT recognized startups and around 20 incubators, with strong startup presence in multiple sectors with a Health & Wellness, Food Processing, Manufacturing, foundation to accelerate growth for the State.

The policy is designed to create an enabling environment for innovators, aspiring entrepreneurs, and young enterprises by addressing challenges such as access to finance, mentorship, incubation, market linkages, and capacity building. Through this policy, the state envisions empowering its youth, harnessing local talent, and encouraging risk-taking and innovation at every level.

By fostering collaboration between academia, industry, investors, and government agencies, Chhattisgarh is committed to leverage its strength in areas such as agriculture, health, education, information technology, renewable energy and tribal crafts to cultivate a self-sustaining, sustainable and globally competitive startup ecosystem and contributes to the vision of “Atmanirbhar Bharat”.

2. Objective

To achieve the goals of **Amritkal: 'Chhattisgarh Vision @2047'** and to build a world-class startup ecosystem by the year 2030, the following objectives have been aligned under this policy:

- (1) To promote entrepreneurship in both urban and rural areas and encourage youth and specific groups in society towards entrepreneurship.
- (2) To empower over 5,000 new DPIIT-registered startups by providing consulting, technology, and cutting-edge infrastructure.
- (3) To facilitate access to incubation, mentoring, funding, and market contacts for the development of startups at various stages.
- (4) To expand innovation and entrepreneurship in various sectors while promoting social impact and sustainable employment opportunities.
- (5) To strengthen cooperation between industries, academic institutions, investors, and government entities, and to establish Chhattisgarh as a leading innovation-driven hub.
- (6) Establish an incubation center in each district.

3. Policy Period

The Chhattisgarh Innovation and Startup Promotion Policy 2025-2030 shall remain in effect from the date of its notification and shall remain valid until the tenure of the Industrial Development Policy 2024-30.

4. Priority Sectors for Startup Growth

The government of Chhattisgarh, under its Industrial Development Policy 2024–30, has strategically outlined key thrust sectors to promote private sector investments and accelerate economic growth. In alignment, the state’s Startup policy prioritizes sectors where the state holds natural strengths and untapped potential. The state aims to harness local resources, empower regional talent, and foster a resilient ecosystem of innovation and entrepreneurship.

Priority Sectors:

- (1) **Thrust Sectors:** Thrust sectors as identified in *Annexure (02)* of Industrial Development Policy (2024-30).
- (2) **Emerging Sectors:** Fintech, Enterprise Technologies, E-Commerce, Travel-Tech, Consumer Services, Edtech, Health-tech, Assistive-Tech, Agri-Tech, Public Welfare Startups, Circular Economy Startup, Artificial Intelligence/Machine Learning, Internet of Things, Augmented Reality/Virtual Reality, Big Data, Blockchain and Greentech.

5. Key Definitions & Responsibilities

(1) Definition of Startup

For the purposes of this Policy, the term Startup shall carry the meaning ascribed to it under the Gazette Notification No. G.S.R. 34(A), dated 16th January 2019, issued by Ministry of Commerce and Industry, Government of India and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and as may be amended/ changed from time to time, as defined below:

An entity shall be considered as a Startup:

- (i) Up to a period of ten years from the date of incorporation/ registration, if it is incorporated as a Private Limited Company (as defined in the Companies Act, 2013) or registered as a Partnership Firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a Limited Liability Partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008) in India.
- (ii) Turnover of the entity for any of the financial year since incorporation/ registration has not exceeded one hundred crore rupees.
- (iii) Entity is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a 'Startup'.

Eligibility for State Government Startup Recognition

To obtain State Startup recognition, an entity must fulfill the following conditions.

- (i) An entity shall satisfy the definition of a 'Startup' as outlined in Clause 5 (1) of this Policy, or as per the latest applicable definition issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India, including any subsequent revisions or amendments there to.
- (ii) The entity shall hold a valid startup recognition certificate issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
- (iii) The entity must be registered in Chhattisgarh and to avail any benefit under the policy, the startup unit must be established/ operated in Chhattisgarh.
- (iv) The activities of entity should not fall under the list of ineligible industries as per Annexure-3 and list of defined core sector industries as per Annexure-5 of the Industrial Development Policy 2024-2030 issued by the Commerce and Industries Department, Government of Chhattisgarh.

- (v) Startups operating in sectors or activities that are limited to replication of already established conventional business units shall not be eligible for benefits under this policy.

(2) Incubators

Incubators are institutions that help innovators and entrepreneurs in the early stages of their business and support their continued growth. By leveraging business expertise and experience, they provide services such as access to technology facilities, mentoring and advisory support, early-stage financial assistance, networks and connections, co-working spaces, laboratory facilities, and guidance. Their objective is to make startups more competitive, build their capabilities, and facilitate easier access to markets.

(i) The incubator must be a legally registered entity and must fall under one of the following categories:

- (a) Company registered under section 8 of Companies Act, 2013.
- (b) Society registered under the Societies Registration Act 1860, or Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973.
- (c) Trust registered under the Indian Trusts Act, 1882.
- (d) Private Limited Company registered under the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013.
- (e) Any other statutory body created through an Act of the legislature.

(ii) Key Roles and Responsibilities of an Incubator

- (a) Support startups in developing sustainable, scalable, and profitable business models.
- (b) Provide dedicated physical infrastructure and essential support services.
- (c) Establish a sector-specific mentor network for expert guidance.
- (d) Organize innovation-focused events and motivational programs.
- (e) Deliver sponsored training and mentorship to entrepreneurs.

- (f) Facilitate strategic partnerships with academic institutes, industry, investors, and other incubators.
- (g) Enable access to prototype labs, testing and validation services, market linkages, and pilot deployment.
- (h) Forming and maintaining a competent team with expertise in incubation, investment facilitation, and ecosystem building.
- (i) Promote collaborative proposals between corporate entities and academic/ research institutions.

(3) Accelerator - An accelerator is an organization, either an independent organization or a corporate program that supports early-stage companies through intense immersive education, mentorship, and financing. Startups enter accelerators for fixed time periods and emerge as established, robust companies which are ready to scale.

(4) Mentor - A mentor is an experienced individual or organization that provides guidance and support to startups in their business, technical, and management decisions. Mentors assist startups with activities such as networking, training, product development, market access, and funding, helping ensure overall growth and success.

(5) Venture Capital Fund - A Venture Capital Fund is a fund that:

- (i) Is established either as a trust or as a duly incorporated company;
- (ii) Maintains a dedicated pool of capital;
- (iii) Raises capital in accordance with applicable regulatory provisions; and invests in startups.

(6) Startup Chhattisgarh - Startup Chhattisgarh is a flagship initiative launched by the Department of Commerce and Industries, Government of Chhattisgarh, aimed at fostering a vibrant startup ecosystem within the state. The initiative seeks to promote entrepreneurial culture through strategic policy formulation, infrastructure development, and comprehensive ecosystem strengthening.

(7) Emerging Technologies - Emerging technologies refer to cutting-edge innovations. These technologies are considered critical for planning, decision-

making, development, execution, problem-solving, product creation, and trend detection across government and industry sectors.

(8) Acceleration program - It refers to the program where a startup receives focused and fast-tracked support through a structured process commonly known as an Acceleration. These programs help startups grow quickly by providing immediate access to mentorship, training, funding, and business networks.

(9) Incubates - Incubate refers to an individual innovator or a startup that has been accepted into a recognized incubation program or business incubator, where it receives support to develop its idea or product. This support may include working space, mentorship, technical support, business advice, and access to funding.

(10) Cohort - A group of startups chosen to participate in a Startup incubation/acceleration program for a specific period.

(11) Proof of Concept (PoC) - A Proof of Concept (PoC) is a small-scale, preliminary project or experiment designed to test whether a particular idea, technology, or approach is feasible and will work as intended in practice.

(12) Minimum Viable Product (MVP) - A Minimum Viable Product (MVP) is the most basic version of a product that includes just enough features to satisfy early adopters and gather validated learning about users and the market.

(13) Aspiring Entrepreneur - Aspiring Entrepreneur refers to any individual, group, or organization that has demonstrated intent to establish a startup enterprise and have initiated early-stage activities such as ideation, market research, team formation, or preliminary product development, but has not yet registered as a recognized startup.

(14) Stages of a Startup

A startup progresses through five stages:

- (i) **Ideation** - where the business idea is formulated, and initial market research is conducted

- (ii) **Validation** - where a proof-of-concept or minimum viable product is developed and tested.
- (iii) **Early Traction** - where the startup secures its first customers and generates initial revenue.
- (iv) **Growth** - where operations are scaled, the team expanded, and further funding raised.
- (v) **Maturity** - where the enterprise consolidates its market position and explores new markets or exit strategies.

(15) Women Entrepreneur –

Under this policy, the following conditions shall apply for the eligibility of women entrepreneurs for availing benefits under the designated category-

- (i) A woman who is a domicile of the state and has proposed or established an enterprise,
- (ii) In the case of a partnership firm, at least 51 percent of the partnership must belong to women of the state,
- (iii) In the case of a company formed under the Companies Act, at least 51 percent of the shareholding must belong to women of the state,
- (iv) In the case of a cooperative institution, at least 51 percent of the members must be women of the state,
- (v) In the case of a society formed under the Societies Act, at least 51 percent of the members must be women of Chhattisgarh,
- (vi) In all the above categories, it is also necessary that at least 50 percent (separately for each category) of the workforce in managerial, skilled, and unskilled positions must be women. Furthermore, if the enterprise owner is a woman, she will not be included in any of the workforce categories of managerial, skilled, or unskilled labour.

(16) Persons with Disabilities (Divyang) – A Divyang refers to an individual who falls under the purview of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

(Act No. 49 of 2016) enacted by the Government of India, and possesses a valid certificate issued by a competent authority authorized for this purpose.

(17) Ex-Servicemen - An Ex-Serviceman refers to a native resident of Chhattisgarh who has retired from the Armed Forces or Paramilitary Forces of the Government of India and holds a certificate to this effect issued by the concerned administrative department/office.

(18) Naxal-Affected Persons – The term "Naxal-Affected Person" shall carry the same meaning as defined under the Chhattisgarh Naxalite Surrender/Victim Relief and Rehabilitation Policy–2025.

(19) Project Report - a report prepared for the establishment, expansion, or modernization of a new enterprise by any State department / Entrepreneurship Development Centre / EDII / CITCON / MSME institute, or by a business consultant approved by national-level financial institutions, or by a private-sector consultant, Chartered Accountant, or Chartered Engineer. The report should include details such as the project's financial cost, marketing potential, availability of raw materials, technical aspects, profitability and loss analysis, etc.

(20) Scheduled Caste / Scheduled Tribe Entrepreneurs - An entrepreneur belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe category refers to an individual who is a native resident of Chhattisgarh and has been notified as a member of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes for the State of Chhattisgarh under the definition prescribed by the Government of India. The individual must possess a permanent certificate issued by a competent authority confirming their inclusion in the said category.

(21) Public Welfare Startup - A public welfare startup refers to a startup whose primary objective is to create significant social or environmental impact in areas such as health and sanitation, education and skill development, rural livelihoods and agriculture, environment and climate resilience, women and child welfare, accessibility and inclusion for persons with disabilities, and public safety, good governance, and civic engagement.

- (22) Circular Economy Startups** - These are startups that develop and implement solutions based on principles such as efficient use of resources, waste reduction, reuse, restoration, refurbishment, and recycling. They aim to promote a sustainable, regenerative, and environmentally friendly system by replacing the traditional linear process of production and consumption, thereby reducing pressure on natural resources and minimizing environmental impact.
- (23)** All other definitions shall be as per those specified in Annexure-1 of the Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024–30.

6. Support for Startups

To help startups overcome financial constraints and expansion-related challenges, and to promote entrepreneurial potential, the State Government will provide financial assistance and incentives to startup units as per the provisions below, based on their stage of development and sector. This support will be provided only to startup units recognized by the State Government:

(1) Chhattisgarh Seed Fund Assistance (CGSF)

Startups recognized by the State Government that possess a valid Proof of Concept shall be provided seed funding of up to ₹10 lakh for the development of a Minimum Viable Product (MVP), based on the recommendation of an incubation center. To be eligible for this support, the startup must have been incubated in a recognized incubator for a minimum period of three months.

The seed fund shall not be utilized by the startup for the purchase of land or expenditure related to building infrastructure. This financial assistance shall be provided only to those eligible startups which are not eligible under the Student Startup Innovation Policy (SSIP) 2025 of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh.

The startup should not have received seed funding for the development of a Minimum Viable Product (MVP) under any other scheme of the State or Central Government.

(2) Chhattisgarh Startup (Capital) Fund

The state government will create a Chhattisgarh Startup (Capital) Fund of Rs 100 crore to increase access to capital for startups in the state. Under this, the state government will provide matching capital of up to Rs 50 crore to SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs) selected and listed by it. The state's share in the total investment will be a maximum of 50%, while the remaining 50% will be invested by the participating AIFs. Through these AIFs, investment will be made only in recognized startups that are established/operating in the State. 10% of the Chhattisgarh Startup (Capital) Fund will be reserved for startup units operating in priority areas.

(3) Chhattisgarh State Credit Risk Fund (CCRF)

To promote State Government-recognized startup units that are to be established in the State, a separate Credit Risk Fund of ₹50 crore will be created. Under this fund, credit guarantee will be provided to enable startup units to obtain collateral-free loans of up to ₹1 crore from banks.

(4) Interest Subsidy

Recognized startup units in the State will be eligible for 75% interest subsidy on the interest paid for a period of five years on term loans/working capital loans up to a maximum of ₹50 lakh obtained from financial institutions recognized by the Reserve Bank of India.

(5) Event Participation Subsidy in National / International Events

Recognized Startups registered in Chhattisgarh participating in national or international events shall be eligible for following subsidy:

National/International Events – Recognized startup units shall be eligible for reimbursement of 50% of the total expenses (which include travel, booth charges, and registration/participation fees) incurred for participation in up to three startup-focused programs/events per year. The maximum reimbursement shall be limited to ₹2,00,000 per annum for national program/ events and ₹3,00,000 per annum for international events.

(6) Online Advertising Assistance

State recognized startups shall be reimbursed for expenses incurred on digital advertisements on platforms such as Meta (Facebook/Instagram), YouTube Ads, LinkedIn, Microsoft Ads, Google Ads, or other platforms notified by the Department. This facility will be provided to each unit up to a maximum of two times during the period it continues to operate as a startup, subject to maximum limit of ₹3 lakhs.

(7) Financial Incentives for Successful Fundraising

Recognized Startups that successfully raise funds from SEBI registered Alternative Investment Funds (AIFs) or Venture Capitalists (VCs) will be eligible for a performance-based incentive of 20% of the amount raised, up to a maximum of ₹10 lakhs. This incentive will not be applicable to investments received from a seed fund or an angel investor

Clarification - Amounts invested by empaneled AIFs utilizing the State's Startup (Capital) Fund shall not qualify for the performance incentive.

(8) Public Procurement Relaxation

Startup units shall be granted exemptions in government procurement based on the provisions mentioned in the Chhattisgarh Store Purchase Rules, 2002 (as amended in 2025), as notified by the State Government.

(9) Stamp Duty Exemption

Recognized startup units established/operating in the state shall be eligible for stamp duty exemption as per the provisions of the Industrial Development Policy 2024–30, as detailed below

- (i) On executed deeds related to the purchase or lease of land, sheds, and buildings, as well as deeds related to land leases (excluding land under mining leases).
- (ii) On execution of deeds related to loan advances, for a period of up to **03 years** from the date of loan sanction by the bank/financial institution.

(10) Rental Subsidy

Recognized startup units established or operating in Chhattisgarh will be eligible for reimbursement of 50% of the monthly rent, up to a maximum of ₹15,000 per month,

for a period of three years, if operating from rented commercial premises or incubation centers. The subsidy shall be disbursed on a quarterly basis.

Startup units working in the field of public welfare and startup units in the circular economy will be eligible for an additional 5% subsidy.

(11) Fixed Capital Investment Subsidy

Recognized startup units established or operating in Chhattisgarh will be provided a capital investment subsidy of 35%, up to a maximum of ₹35 lakh.

The fund received by the startup under seed fund assistance/fund raising assistance shall be adjusted against the eligible FCI subsidy. Startups availing rental subsidy, the shed & building cost will not be considered under eligible FCI.

(12) Reimbursement of Quality Certification Fee

State Government recognized startup will be reimbursed up to 75% of the expenses incurred for obtaining quality certifications, subject to a maximum limit of ₹10 lakhs.

(13) Project Report Subsidy

State Government recognized startup units will be granted a subsidy of 1% of the eligible fixed capital investment, up to a maximum of ₹5 lakh.

(14) Technical Patent Subsidy

State Government recognized startup will be reimbursed 75% of the expenses incurred for obtaining a patent, up to a maximum of ₹10 Lakhs in case of national patent and maximum of 20 Lakhs for international patents.

(15) Technology Purchase Subsidy

State Government recognized startup will be reimbursed 50% of the expenses incurred for technology purchase from National Research Development Corporation (NRDC) or any government research institution, up to a maximum of ₹10 lakhs.

(16) Employment Generation Subsidy

Recognized startup units established and operating in Chhattisgarh creating over 10 permanent jobs are eligible for a monthly subsidy for each permanently employed resident of Chhattisgarh earning a monthly salary of up to ₹50,000. The subsidy will be provided for a period of five years from the date of commencement of production/operations, at the rate of ₹6,000 per female employee and ₹5,000 per male employee, subject to a maximum limit of ₹5 lakh.

(17) Subsidy for Employment to differently abled individuals, retired Agniveer personnel, and Naxal affected persons

Eligible startups that offer permanent employment to differently abled individuals, retired Agniveer personnel, and Naxal affected persons from Chhattisgarh shall be supported through a reimbursement of 40% of their net salary or wages, up to ₹5 lakhs per annum, for a duration of 05 years.

(18) Training Stipend Reimbursement

For eligible startup units, in the case of employees who are permanent residents of Chhattisgarh and receive a salary of less than ₹50,000 per month, the employer will be reimbursed an amount equivalent to one month's salary or the maximum amount of 15,000 per person, whichever is lower for one-time training. This benefit will be provided for a period of five years from the date of commencement of commercial production/operations.

(19) Eligibility Conditions

- (i) Option Provision: All applications received from startup units from the specified date of the Industrial Development Policy 2024–2030 until the date of its publication in the Gazette, through which stamp duty exemption was availed under the Industrial Development Policy 2024–2030, will have the option to choose either the Startup Package under the Industrial Development Policy 2024–2030 or this policy. This option must be submitted by the startup units to the respective District Trade and Industry Center within 90 days from the date of notification of this policy. Option proposals received after the expiry of this period will not be accepted. Additionally, all applications received after the date of publication of this policy in

the Gazette will be eligible only for the investment incentives provided under this policy.

- (ii) Startup units receiving selection under the option will not be eligible for partial investment incentives (some grants/exemptions/concessions under the Industrial Development Policy 2024–2030 and some grants, exemptions, concessions under this policy). However, the startup units that have received only seed funds under this policy will have the option to avail benefits under the Industrial Development Policy 2024-30. This option, however, will be final and irrevocable, and the amount of the seed fund will be adjusted with the amount of approved permanent capital investment grant for the startup unit.
- (iii) Only startup units that start production/service activities during the period of the Industrial Development Policy 2024–2030 will be eligible for the benefits provided under this policy. However, such startup units that have initiated production/service activities certificate under the Industrial Policy 2019–24 will be eligible for grants to participate in national/international events mentioned in this policy.

7. Incubation Ecosystem

Acknowledging the importance of incubation in transforming ideas into enterprises, Chhattisgarh supports the establishment and upgradation of incubators. This will ensure that startups receive guidance, infrastructure, and resources needed to scale sustainably.

(1) Chhattisgarh's Hub and Spoke Incubators Network

To catalyze the growth of a vibrant incubation ecosystem, the state shall strive to develop a Hub and Spoke Incubators Network as a structured framework aimed at strengthening and streamlining incubator operations across Chhattisgarh.

(i) Mega Incubator/Hub Incubator

In Chhattisgarh, the establishment of Mega Incubators will be encouraged to function as dynamic hubs fostering innovation and entrepreneurship. These incubators will nurture startups, promote innovation, and empower women founders and youth by providing guidance, infrastructure, financial opportunities, and

strategic direction. Mega Incubators will act as hub incubators, offering strategic guidance, handholding, and mentorship to incubators across the state. They will also play a central role in state-level startup promotion and development initiatives.

(ii) Spoke Incubators

To strengthen the incubation infrastructure in the state, the establishment and upgradation of incubators will be promoted in collaboration with public and private organizations. Spoke incubators will function as regional catalysts, promoting innovation and entrepreneurship in their respective focus areas.

(2) Financial Support for Incubators

The state government has provisioned capital and operational assistance to establish an active incubation ecosystem. This assistance will strengthen incubator infrastructure and promote inclusive development within the state.

The financial assistance for incubators are as follows:-

Category	Eligibility Criteria	Financial Assistance
Tier -1 Government	<p>(i) The proposed incubator must be registered as a legal entity in accordance with Clause 5(2)(i) of this policy</p> <p>(ii) The proposed incubator must have a minimum of 3 years of operational experience and should have conducted at least 3 incubation cohorts.</p> <p>(iii) It must have functioned as an incubator/accelerator for a minimum of 30 incubates and should have facilitated funding support to at least 4 startup units</p>	<p>The Proposed incubators shall be provided a grant of 75% of their project cost, out of which the maximum limit for capital expenditure (Capex) shall be 40%. The eligible operational expenditure shall be distributed over a period of five years and given on an annual basis.</p>

	<p style="text-align: center;">or</p> <p>The proposed incubator shall be required to establish a formal collaboration or partnership with another incubator that meets the above-mentioned eligibility criteria.</p> <p>(iv) The proposed incubator must have identified a minimum built-up area of 10,000 square feet within the state, with adequate facilities to accommodate at least 25 incubates.</p>	
<p>Tier -2 Government</p>	<p>(i) The proposed incubator must be registered as a legal entity in accordance with Clause 5(2)(i) of this policy</p> <p>(ii) The incubator must have a minimum of 3 years of operational experience and should have conducted at least 3 incubation cohorts.</p> <p>(iii) The incubator must have functioned as an incubator/accelerator for a minimum of 30 incubates and should have facilitated funding support to at least 2 startup units</p> <p style="text-align: center;">or</p>	<p>Proposed incubators shall be provided a grant equivalent to 75% of their project cost, with the maximum limit for capital expenditure (Capex) capped at 40%. The eligible operational expenditure shall be spread over a period of five years and given on an annual basis.</p>

	<p>The proposed incubator shall be required to establish a formal collaboration or partnership with another incubator that meets the above-mentioned eligibility criteria.</p> <p>(iv) The proposed incubator must have identified a minimum built-up area of 5,000 square feet within the state, with adequate facilities to accommodate at least 15 incubates.</p>	
--	--	--

Assistance for Private Sector Incubation Centres :

Category	Eligibility Criteria	Financial Assistance
<p>Tier 1 - Private</p>	<p>(i) The proposed incubator must be registered as a legal entity in accordance with Clause 5(2)(i) of this policy</p> <p>(ii) The proposed incubator must have a minimum of 3 years of operational experience as an incubator.</p> <p>(iii) The proposed incubator must have conducted at least 5 incubation cohorts and must have worked as an incubator for a minimum of 50 incubates and as an accelerator for at least 10 startups.</p> <p>(iv) The incubator must have facilitated funding support for at</p>	<p>The proposed incubators will be provided a grant of 50% of their project cost, subject to a maximum limit of ₹3 crore. Within this, the maximum limit for capital expenditure (Capex) will be 40%. The eligible operational expenditure (Opex) will be distributed over a period of 5 years and given on an annual basis.</p>

	<p>least 5 startups in last 3 years through government schemes, angel funds, or venture capital</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>The proposed incubator shall be required to establish a formal collaboration or partnership with another incubator that meets the above-mentioned eligibility criteria.</p> <p>(v) The proposed incubator must have identified a minimum built-up area of 10,000 square feet within the state, with adequate facilities to accommodate at least 25 incubates.</p>	
<p>Tier 2 – Private</p>	<p>(i) The proposed incubator must be registered as a legal entity in accordance with Clause 5. (2) (i) of this policy</p> <p>(ii) The incubator must have a minimum of 3 years of operational experience as an incubator.</p> <p>(iii) The incubator must have conducted at least 3 incubation cohorts and must have worked with 30 incubates as an incubator.</p> <p>(iv) The Incubator must have supported at least 2 startups in securing investments through</p>	<p>The proposed incubators will be provided a grant of 50% of their project cost, subject to a maximum limit of ₹2 crore. Within this, the maximum limit for capital expenditure (Capex) will be 40%. The eligible operational expenditure (Opex) will be distributed over a period of 5 years and given on an annual basis.</p>

	<p>government schemes, angel funds, or venture capital in the past three years</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>The proposed incubator shall be required to establish a formal collaboration or partnership with another incubator that meets the above-mentioned eligibility criteria.</p> <p>(v) The proposed incubator must have identified a minimum built-up area of 5,000 square feet within the state, with adequate facilities to accommodate at least 15 incubates.</p>	
--	---	--

Specific regions:

All Group 3 blocks and Group 2 blocks of Bastar and Surguja division (as defined under Industrial Development Policy 2024-30) will get additional financial support of 10% over and above financial incentives mentioned in the above table.

(3) Incubator Upgradation & Operational Assistance

Incubators established in the state will be eligible for the grant mentioned in Clause 7(2) of this policy if they increase their approved fixed capital investment by a minimum of 25% and increase their incubation capacity (number of seats) by 25%.

Eligibility criteria for established incubators:

- (i) Must be an incubator as defined under Clause 5(2)(i) of the policy.
- (ii) Must have a minimum of 2 years of operational experience at the time of application.

- (iii) The incubation center must have a seating capacity for at least 20 incubates and should have provided incubation to a minimum of 5 startup units.
- (iv) Audited annual financial statements for previous financial years.
- (v) A qualified team must be available for mentorship, technical, and business support.
- (vi) The incubation center must be a recognized incubator under any scheme of the Central/State.

Any additional criteria may be decided by the Nodal Department

(4) Event Organizing Assistance

Recognized incubators shall be eligible for financial assistance of ₹1 lakh per event for organizing state-level programs related to startups, innovation, and entrepreneurship, which support is subject to a maximum annual limit of ₹4 lakhs per incubator. The assistance provided shall not exceed the actual contribution made by the incubator towards the event.

(5) Acceleration Program

To provide support to startups in the development phase through incubation centers, for organizing an acceleration program (cohort) for a minimum duration of 8 weeks, incubation centers will be given reimbursement of expenses up to a maximum of ₹15 lakh for the event. For this purpose, incubation centers must obtain prior approval from the nodal department, and the funds will be distributed only based on actual expenditure and achievement of approved targets.

Eligibility:

- (i) Only incubators recognized by the state government will be eligible for this grant.
- (ii) The proposed program must be at least 8 weeks long, including a minimum of 10 development-stage startups, a fixed curriculum, and have defined outcomes.

(6) College Innovation and Startup Cell

To promote student-led innovation and entrepreneurship across higher education institutions in Chhattisgarh, the State Government shall support the establishment of College Innovation and Startup Cells (CISCs) under this policy.

Each eligible CISC shall be provided with operational support of up to ₹5 lakhs per year only to a recognized and specifically designated college, aimed at facilitating activities such as ideation, prototyping, mentoring, startup outreach, and innovation challenges.

Eligibility Criteria:

- (i) The CISC must be established within a state/central Government affiliate or recognized educational institutes (Higher/Technical) located in Chhattisgarh.
- (ii) The institution must have a functional innovation or entrepreneurship development cell or demonstrate commitment to startup promotion through prior activities.
- (iii) The CISC must submit a yearly action plan outlining proposed activities, budget utilization, and expected outcomes.
- (iv) The institution must commit to matching the operational support through its own resources or partnerships.
- (v) The CISC must maintain records of student participation, startup outcomes, and submit biannual progress reports to the Implementing Agency.

8. Special Provisions

(1) Priority and Provisions for Women and Special Category Entrepreneurs

- (i) All incubation centres supported by the State Government shall mandatorily reserve 10% of the total incubation seats for women and special category entrepreneurs, including those belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), retired personnel of the Indian Armed Forces, individuals/families affected by Naxalism, Agniveers, and persons with disabilities.
- (ii) Under this policy, women and special category entrepreneurs shall be eligible for an additional 10% grant over and above the investment incentives specified.

- (iii) All incubation centres supported by the State Government shall mandatorily reserve 10% of the total incubation seats for startup units operating in priority sectors.

(2) Digital Enabling Platforms

To promote Ease of Doing Business (EoDB) in State and drive inclusive growth across the entrepreneurial ecosystem, the State will develop a unified Startup Digital Platform. This single-window interface will provide startups with the investment incentives provisioned in the policy.

Beyond administrative convenience, the platform will foster meaningful connections with mentors, investors, incubators, accelerators, and other key ecosystem stakeholders. By integrating resources, streamlining processes, and promoting transparency, the platform aims to empower startups at every stage of their journey fueling innovation and accelerating development across the State.

(3) IP & Technology Facilitation Cell

The State will endeavor to establish/strengthen a dedicated Intellectual Property & Technology Facilitation Cell to strengthen the innovation ecosystem. This Cell will play a pivotal role in raising Intellectual Property (IP) awareness, curating technologies ready for commercialization, facilitating technology transfers, and building entrepreneurial capabilities. It will also provide strategic guidance to startups navigating IP-related processes, thereby fostering a culture of innovation and protecting intellectual assets effectively. For this purpose, the State Government will seek cooperation from suitable institutions working in this sector.

(4) Startup Nagar

State shall strive to develop the “Startup Nagar” for housing the startup stakeholders such as startups, incubators, co-working spaces, investors, bankers, makerspaces, laboratories and Centre of Excellence, along with common facilities such as auditorium, conference halls, parking lots, play zones and other amenities.

9. Programs for Entrepreneurship

(1) Chhattisgarh Innovation Challenge

Based on the problem statements submitted by various State departments on the Startup Portal, innovative concepts shall be invited from institutions, startups, and eligible entities across the State to address high-impact economic and social challenges. Selected concepts will receive special financial assistance.

Form of Assistance:

- (i) A grant amount of maximum ₹25 lakhs, provided in four phases or as decided by the nodal department.
- (ii) All the selected solutions will be mapped to the government incubators for R&D support, Lab usage, utilization of facilities, office space and meeting arrangements and regular mentoring.
- (iii) The Chhattisgarh Store Purchase and Service Procurement Rules, 2002 (As amended in 2025) may be relaxed for eligible startups, provided they meet the prescribed criteria.

(2) Startup Hackathon Program

The State shall strive to create provisions for actively publishing problem statements focused on state-specific or theme-based challenges on the Startup Portal, inviting startups to participate in a Hackathon Program. This time-bound competition will challenge participants to develop working prototypes or minimum viable products (MVPs) that address real-world issues faced by industry and government.

Innovations emerging from the Hackathon will be evaluated by the nodal department, and selected solutions shall be encouraged to receive amount of ₹5 lakhs support through incubation, financial assistance, and guidance for testing and deployment ensuring promising ideas are nurtured into impactful solutions.

Eligibility

Startups must comply with the eligibility criteria under this Policy and must not have received similar financial support from other government schemes.

Application & Selection Process

- (i) Call for Applications: The State Government will publicly announce the hackathon through an online platform and invite applications from eligible startups.
- (ii) Screening: The screening committee constituted for the event will conduct a preliminary review of the received applications based on eligibility and relevance.
- (iii) Hackathon Participation: Selected startups will work on the defined problem statements during the hackathon.
- (iv) Final Evaluation: The expert committee formed for this event will evaluate the pitches and select the winners.
- (v) Assistance: Selected startups will be provided financial assistance for further development and implementation.

(3) Startup Annual Day

State shall endeavor to celebrate the annual Startup Day to encourage collaborative events across the state, and increase participation by universities, colleges, schools, Non-Governmental Organizations, Farmer Producer Organizations, Self Help Groups and Companies.

(4) Startup Event

Implementing Agency/ Hub Incubator shall strive to organize state level multi stakeholder events such as conferences, meetups, boot camps, mentoring sessions, startup mela, demo days, investor meets, startup yatra, startup exchange program. This State level startup conclave to foster collaboration among startups, investors, industry, mentors and government.

10. Governance for Effective Enablement

The State shall strive to establish a robust governance and implementation framework to ensure the effective design, execution, and continuous improvement of startup-related policies and initiatives. This structure will focus on building institutional capacity, fostering inter-departmental coordination, and enabling data-driven decision-making.

(1) The Nodal Department

The Department of Commerce & Industries shall be the Nodal Department and Director of Industries shall be the nodal officer for startup promotion in the state, and responsible for setting up the strategic vision, mobilizing required resources and approvals for effective implementation of the policy.

(2) Implementation Agency

The Directorate of Industries, along with the District Trade and Industry Centers under its jurisdiction, shall serve as the Implementation Agencies (IA) for this policy. Through the Startup Chhattisgarh initiative, the Implementation Agencies shall undertake various activities including the establishment of dedicated cells, promotion of stakeholder engagement, and facilitation of collaborative efforts.

(3) The State Level Startup Promotion Committee (SSPC)

The State-Level Startup Promotion Committee shall be responsible for the evaluation and approval of proposals, review of progress, and reconsideration of initiatives. It shall also ensure appropriate mechanisms for the effective implementation of incubators, startup funds, and other policy provisions.

The composition of the Committee shall be as follows:

- (i) Director of Industries or person nominated by him – Chairperson
- (ii) Representative from MSME-DFO, not below the rank of Assistant Director (as required)
- (iii) Joint Director (Finance), Directorate of Industries
- (iv) Joint Director, Directorate of Industries - Member Secretary
- (v) Representative from CHIPS (as required)

In addition to the above members, the Department may invite subject matter experts, representatives from research and academic institutions, investment professionals, and industry experts as needed. A minimum quorum of 4 members shall be required for conducting meetings.

Roles & responsibilities SSPC:

- i. The committee will hold monthly meetings and evaluate the received applications to grant approvals to startup units and incubators.
- ii. The committee will review the progress reports of incubation centers and issue directions for improvements.
- iii. The committee will be responsible for approving grants, incentives, subsidies, and exemptions.
- iv. The committee will also be authorized to take other decisions related to startup promotion. Startups and incubators will be eligible for exemptions/grants only after receiving in-principle approval from the committee.

11. General Terms and Conditions

- (1) The Nodal Department shall issue detailed guidelines/notifications for the implementation of grants, incentives, concessions, and other provisions under this policy.
- (2) Interpretation, feedback, or resolution of disputes regarding the policy or its operational guidelines shall rest with the Nodal Department, whose decision shall be final and binding.
- (3) For effective implementation of this policy, 5% of the total allocated budget shall be earmarked for the operation of a Project Management Unit (PMU). The PMU shall function under the Nodal Department for policy implementation, stakeholder engagement, digital infrastructure, and capacity building, and shall conduct technical evaluations of received proposals before submission to the department.
- (4) Application formats for various subsidy schemes may be issued by the Director of Industries.

12. Administrative Provisions

- (1) Startups and Incubators will be provided with the support and assistance under the policy in accordance with the procedure and guidelines issues by Chhattisgarh Government's Department of Commerce & Industries. Any amendments to the procedure and guidelines will be made with administrative approval from the department. In the event of any printing error, factual inaccuracies, or

discrepancies between the Hindi and English versions, the Hindi version will be deemed authoritative.

(2) Subject to provisions under this policy, the Government of Chhattisgarh, Department of Commerce & Industries at any time –

- (i) May amend this policy.
- (ii) May relax the provisions of this policy.
- (iii) May issue directions/clarifications/guidance to clarify the provisions of this policy.